भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1453

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के संबंध में आंकड़े

†1453. **श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:**
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यालयी शिक्षकों की वर्ष-वार और विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) एकल-शिक्षक विद्यालयों और शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में कमी से संबंधित आंकड़ों और इस गिरावट का प्रतिशत क्या है और वास्तविक संख्या के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;
(ग) नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक जैसे विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर विभिन्न स्तरों के बीच संक्रमण दर सहित छात्र प्रतिधारण दर में सुधार का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा डिजिटल अवसंरचना, स्वच्छता सुविधाएं, पेयजल और समावेशी अवसंरचना जैसे अवसंरचना सुधारों हेतु क्या उपाय किए गए हैं और इसे ग्रामीण और शहरी विद्यालयों में किस प्रकार उपलब्ध कराया जा रहा है;
(ङ) क्या निरंतर कम नामांकन की समस्या को दूर करने के लिए कोई निगरानी और सुधारात्मक तंत्र लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने के लिए क्या समयसीमा निर्धारित की गई है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): यूडाइज़+(शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 तक शिक्षकों की संख्या का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध हैं।

यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में घटी गई एकल शिक्षक स्कूलों और शून्य नामांकन वाले स्कूलों की कुल संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध हैं।

(ग): यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के लिए मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक जैसे विभिन्न शैक्षिक चरणों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिधारण दर और अंतरण दर https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध हैं।

(घ) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र शिक्षा, स्टार्स और पीएम श्री जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़) डेटाबेस और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों से निर्धारित कमियों के आधार पर अतिरिक्त कक्षाएं, लड़के/लड़कियों/सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालय, पेयजल, बिजली, चाहरदीवारी, पुस्तकालय, आईसीटी और डिजिटल कक्षाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष उनकी जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील आधार पर तैयार किया जाता है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में दर्शाया जाता है। तत्पश्चात, इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/प्राक्कलन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों, पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और नि:शुल्क यूनीफ़ॉर्म प्रदान करना, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा, आदि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

******